P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-1* April- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

भारत में प्राथमिक शिक्षा का विकास एवं सर्वशिक्षा अभियान की स्थिति : वर्तमान परिदृश्य में

अजीत कुमार यादव
शोधार्थी,
शिक्षा संकाय,
आर0बी0एस0 कालेज,
आगरा

सारांश

भारत में शिक्षा व्यवस्था के प्रथम स्तर को प्राथमिक स्तर की शिक्षा कहा जाता है। प्राथमिक शिक्षा 6 वर्ष की आयु से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये निर्धारित की गयी है जो कक्षा एक से आठ तक चलती है। प्राथमिक शिक्षा देश की भावी पीढ़ी के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। स्वामी विवेकानन्द ने कहा है, ''मेरे विचार से जनसाधारण की अवहेलना महान राष्ट्रीय पाप है और हमारे पतन के कारणों में से एक है। कोई भी राजनीति उस समय तक विफल रहेगी जब तक कि भारत में जनसाधारण को एक बार फिर भली प्रकार शिक्षित नहीं कर लिया जायेगा।'' वास्तव में लोकतांत्रिक समाज में सभी को समान अवसर एवं समान शिक्षा का मूल विचार ही मानवाधिकार संरक्षण की प्रथम पहल है। और लोकतंत्र को सफलता पूर्वक व प्रभावशाली ढंग से चलाने का सार्थक प्रयास है, सभी देश अपनी सफलता की गौरवगाथा तब ही लिख सकते हैं, जब उसके देश में, मानवाधिकारों के मानदण्डों को उच्च रूप में संविधान में अंगीकृत किया गया हो और समानता के आधार पर शिक्षा के सभी स्तरों पर राष्ट्र के सभी नागरिकों का समान अधिकार हो जिसके लिये भारतीय सरकार ने 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून लागू कर सर्वशिक्षा अभियान को चलाया और शिक्षा से विलगित लोगों को शिक्षा में समावेशित किया।

मुख्य शब्द : प्राथमिक शिक्षा, सर्वशिक्षा अभियान।

प्रस्तावना

अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का विचार लोकतांत्रिक व्यवस्था की देन है। लोकतंत्र को और भी मजबूत एवं सशक्त रूप से चलाने के लिये अनिवार्य रूप से सभी नागरिकों को शिक्षा प्राप्त होनी चाहिये पश्चिमी देशों (अमेरिका 1852, नार्वे 1860, इंग्लैण्ड 1870 स्वीडन 1842) ने इस व्यवस्था को 19वीं शताब्दी के मध्य में लागू किया परन्तु भारत में औपनिवेशिक दासता होने के कारण यह बहुत बाद में लागू हुई। यद्यपि भारतीयों द्वारा आन्दोलन एवं छिट–पुट प्रयासों ने इसे जनमानस के मन में एक विचार स्वरूप जिन्दा रखा और उस दिशा में इब्राहिम रहीमतुल्ला तथा सर चिमनलाल सीतलबाड का योगदान उल्लेखनीय रहा आगे चलकर बड़ौदा के गायकवाड नरेश ने 1906 में अपनी सम्पूर्ण रियासत में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की, बाद में गोपालकृष्ण गोखले ने सन् 1910 में इम्पीरियल लेजिस्लेटिव असेम्बली में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव प्रस्तुत किया परन्तु यह पारित न हो सका, बहुत ही अथक प्रयासों एवं संघर्षों के पश्चात ब्रिटिश शासन का ध्यान भी प्राथमिक शिक्षा की तरफ उन्मुख हुआ और प्राथमिक शिक्षा को उड़ीसा, बंगाल, बिहार, असम जैसे प्रांतों में अनिवार्य बनाया गया और शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की गई तथा समय–समय पर तमाम शिक्षा आयोगों का गठन भी हुआ, परन्तु ब्रिटिश शासन में प्राथमिक शिक्षा अपने अनिवार्य एवं प्राथमिक लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी।

शोध की आवश्यकता एवं महत्व

प्राथमिक शिक्षा का इतिहास उतना ही प्राचीन है। जितना मानव सभ्यता का इतिहास है। मानव सभ्यता के प्रारम्भ होते ही किसी न किसी रूप में शिक्षा का प्रारम्भ हो गया, भारत में प्राचीन शिक्षा व्यवस्था का आरम्भ ऋग्वैदिक काल से माना जा सकता है। भारत में शिक्षा व्यवस्था को मुख्यतः तीन काल खण्डों में बांटा जा सकता है। वैदिक (प्राचीन) शिक्षा व्यवस्था, मुस्लिमकालीन शिक्षा व्यवस्था, ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था। स्वतंत्रता प्राप्त करते समय भारत के समक्ष शिक्षा प्रणाली के पुर्नगठन, अवसरों की समानता एवं तीव्र सुधारों जैसी बड़ी समस्या थी। और प्राथमिक शिक्षा को जन–जन तक पहुंचाना एक बहुत ही

व्यापक लक्ष्य था, इन्हीं लक्ष्यों का वर्तमान परिस्थितियों में कितनी हद तक पहुंच हो पायी हैं, जिसने शोधार्थी के मन में शोध भावना जागृत की और प्राथमिक स्तर की प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक क्या रूपरेखा है, एवं क्या स्थिति है, इसे जानने का प्रयास किया गया है।

साहित्यावलोकन

ओहरी, पंकज (2002) ने अपने शोध ''हरियाणा में बालिका शिक्षा पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रभाव'' में पाया कि ग्राम शिक्षा समिति एवं ग्राम निर्माण समिति के माध्यमों से महिला शिक्षा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा रहा है और व्यापक भागीदारी प्रस्तुत की जा रही है।

शिल्पी (2002) ने अपने शोध ''लिंग भेद प्राथमिक शिक्षा में बाधा का अध्ययन'' में पाया कि अभिभावकों का अभिमत पुत्र एवं पुत्री के प्रति अलग था और विद्यालयोपरान्त पुत्री को घरेलु कार्यों में संलग्नता ज्यादा थी।

पी0 सुब्रामण्यम (2005) के अध्ययन ''प्राथमिक शिक्षा में अवरोधन के कारक'' में कम पारिवारिक आय एवं बाल श्रम अवरोधन के मुख्य कारण है।

रेणू (2006) ने अपने शोध ''ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति'' के अध्ययन में पाया कि बहुत से मुस्लिम परिवार, जिनकी आजीविका गुणवत्ता पूर्ण है वह अपने पाल्यों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं।

सेन गुप्ता (2008) ने अपने शोध ''भारतीय प्राथमिक शिक्षा में गरीबी/अभियोग्यता का विवरणात्मक अध्ययन'' में पाया कि बच्चों के अधिगम स्तर को बढ़ाने में योग्य प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जिसमें अनिवार्य संसाधनों की कमी है।

फिशर (2011) ने अपने शोध ''प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों में असंतोष की भावना'' में पाया कि विद्यालय में एक सुरक्षात्मक वातावरण की आवश्यकता है जहां छात्र और अध्यापक आपसी सामन्जस्य से बिना किसी हिचक के अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें।

एस0आर0 एवं पावेल (2012) ने प्राथमिक विद्यालय में निर्धारित गणित के पाठ्यक्रम का विश्लेषणात्मक अध्ययन में पाया कि यह पाठ्यक्रम रोक नहीं है और इसको और भी सरल एवं रोचक बनाने की आवश्यकता है।

ठाकुर, करतार सिंह (2015) ने अपने शोध सोसियो इमोशनल एडजस्टमेन्ट एण्ड गाइडेन्स नीड़ ऑफ एलिमेन्ट्री स्कूल स्टूडेन्ट्स विथ लर्निंग डिसएविलटी में बताया कि ऐसे समूह के बच्चों से भावनात्मक रूप से लगाव उत्पन्न करना होगा और उन्हें अध्ययन के लिये प्रेरित करना होगा।

अध्ययन के उद्देश्य

1. शोध अध्ययन में प्राथमिक शिक्षा का ऐतिहासिक एवं स्वतंत्रतोपरान्त परिदृश्य का सिंहावलोकन एवं उसकी विश्लेषणात्मक समीक्षा करना।
2. प्राथमिक, उच्च माध्यमिक स्तर पर शिक्षा प्रदान करने वाले सरकारी अर्धसरकारी विद्यालयों में, छात्रों का नामांकन, सरकारी अनुदान, एवं छात्रों की उपस्थिति एवं ठहराव का अध्ययन करना।
3. सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों की स्थिति का अध्ययन करना।

शोध प्रविधि

वर्णात्मक अनुसंधान के अंतर्गत सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया है।

अध्ययन का क्षेत्र

प्रस्तुत शोध कार्य में स्वतन्त्रतोपरान्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर हुये अखिल भारतीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षा के विकास के अध्ययन तक परिसीमित रहेगा।

2001 से 2014–15 तक प्राथमिक शिक्षा के विद्यालयों, छात्र नामांकनों, शिक्षण सुविधाओं, तथा शिक्षा में ठहराव की जानकारी प्राप्त करने तक ही सीमित रहेगा।

शोध की जनसंख्या एवं न्यादर्श

प्रस्तुत शोध की प्रकृति सर्वेक्षणात्मक है तथा उसका सम्बन्ध अखिल भारतीय स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों में एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सर्वशिक्षा अभियान में शामिल विद्यार्थियों के विकास क्रम का है। अतः समग्र जनसंख्या इसका प्रतिनिधित्व करेगी। इस शोध में न्यादर्श चयन का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि समग्र जनसंख्या ही न्यायदर्श है।

उपकरण

शोध से सम्बन्धित सभी बिन्दुओं पर प्रमाणिक सूचनाएं प्राप्त करने के लिये सरकारी अभिलेखों का उपयोग किया गया है। यह अभिलेख विभिन्न पुस्तकालयों कम्प्यूटर (इण्टरनेट) एवं एजुकेशन फार आल टूवर्डस क्वालिटी विथ इक्वलिटी इण्डिया रिपोर्ट से प्राप्त किया गया है तथा संगणक के माध्यम से सरकार द्वारा प्रायोजित हो रही विभिन्न योजनाओं को सूचीबद्ध एवं एकत्रित किया गया।

ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत में प्राथमिक शिक्षा का विकास

वैदिक काल में प्राथमिक शिक्षा

वैदिक कालीन शिक्षा में विद्या, ज्ञान, बोध तथा नैतिक बल के उत्थान पर बल दिया गया और शिक्षा के अन्तर्गत शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं अध्यात्मिक क्रियाओं पर बल दिया गया और आश्रम व्यवस्था पर जोर दिया गया। शिक्षा प्रारम्भ होने से पूर्व कई महत्वपूर्ण संस्कार थे जिन्हें यथावत पूर्ण करना होता था।

बौद्धकालीन प्रारम्भिक शिक्षा व्यवस्था

बौद्धकालीन व्यवस्था में शिक्षा का संचालन मठों से होता था, जातक कथाओं से स्पष्ट होता है कि प्राथमिक शिक्षा के प्रमुख केन्द्र यह हुआ करते थे। प्राथमिक कक्षाओं में धर्म प्रधान एवं लौकिक जगत से सम्बन्धित शिक्षा दी जाती थी।

मुस्लिमकालीन प्रारम्भिक शिक्षा व्यवस्था

मुस्लिम सत्ता की भारत में स्थापना ने संस्कृति, धर्म तथा अदर्शे को बदला, मुस्लिम शासक शिक्षा को इसलामी ज्ञान व संस्कृति को प्रचारित करने का एक मात्र साधन समझते थे। मुस्लिम सत्ता के स्थापना ने जनजीवन में दूरगामी परिवर्तन लाए जिनसे शिक्षा व्यवस्था भी परिवर्तित हुयी और अब वैदिक श्लोकों तथा बौद्ध साहित्य के साथ–साथ कुरान की आयतों का भी अध्ययन होने

लगा, वस्तुतः प्रारम्भिक दौर में मुस्लिम शासकों ने न तो कोई स्पष्ट, नियमित शिक्षा व्यवस्था की योजना बनाई, और ना ही उस पर विशेष ध्यान ही दिया।

अंग्रेजों के अधीन शिक्षा व्यवस्था

ईस्ट इण्डिया कम्पनी काल (1857 से पूर्व) ब्रिटिश इण्डिया काल (1857 के बाद)

ईस्ट इण्डिया कम्पनी काल में शिक्षा व्यवस्था

भारत में यूरोपीय कम्पनियों का आगमन पन्द्रहवीं शदी के अन्त में प्रारम्भ हुआ, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज आये, प्रथमतः तो व्यापार के लिये आये थे, परन्तु बाद में क्रमिक संघर्षों का दौर शुरू हुआ और राजनीतिक उठा पटक में ईष्ट इण्डिया कम्पनी विजयी हुयी और इस कम्पनी का उद्देश्य भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार तथा व्यापार करना था। भारतीय समाज और संस्कृति को ध्यान में रखते हुये कम्पनी ने अपनी एक पृथक शिक्षा नीति का निर्माण किया अपने शासित क्षेत्रों में शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की और प्राथमिक विद्यालयों के माध्यम से शिक्षण कार्य प्रारम्भ कर कुछ हद तक शिक्षा सुधारों का प्रयास किया।

चार्टर एक्ट (1813)

कम्पनी के मालिकों ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को निरन्तर व्यापार की अनुमति प्रदान किया और 1813 में आज्ञा जारी की गई, जिसमें कहा गया कि कम्पनी प्रत्येक वर्ष कम से कम 1 लाख रूपये भारतीय साहित्य एवं भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने तथा भारत में अंग्रेजी ज्ञान–विज्ञान की उन्नति में खर्च करेंगे।

चार्टर एक्ट (1833)

पुनः 20 वर्षो बाद नये आज्ञा पत्र जारी हुआ। इसमें शिक्षा पर व्यय को 1 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया और प्राच्य एवं पाश्चात्य समथर्कों में यह विवाद उठ खड़ा हुआ कि यह मद किस प्रकार की शिक्षा में खर्च किया जाये।

मैकाले का शिक्षा पर विवरण (1835)

1834 में मैकाले गवर्नर जनरल की काउन्सिल के कानूनी सदस्य के रूप में भारत आए। उन्हें लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया गया था। मैकाले भारतीय साहित्य के आलोचकों में से थे, और मैकाले ने भारत के सम्पूर्ण साहित्य की आलोचना करते हुये 1833 की धारा 43 का अध्ययन किया और उसे नकारते हुये शिक्षा में अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा देने की हिमायत की जिससे विवाद शांत न हो सका।

वुड का घोषणा पत्र (1854)

पुनः एक बार विवाद उठ खड़ा हुआ फिर लार्ड विलियम बैंटिक को भारत में आमजनों की शिक्षा की चिन्ता हुई जिसके कारण उसने एडम द्वारा भारत के पूर्वी भागों (बंगाल, बिहार, उड़ीसा) का व्यापक सर्वेक्षण कराकर तत्कालीन स्थानीय शिक्षा की जानकारी प्राप्त की तभी सन् 1854 में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के ''बोर्ड ऑफ कन्ट्रोल'' के प्रधान वुड ने अपना एक घोषणापत्र जारी किया जिसमे मैकाले का विरोध किया गया और उन्होंने अपने घोषणा में जन शिक्षा विभाग, की स्थापना की, व्यवसायिक शिक्षा, महिला शिक्षा, सरकारी नौकरी के लिए अध्यापक–प्रशिक्षण संस्थानों का उद्घाटन किया, और प्राथमिक शिक्षा में व्यवस्थित रूप से सुधार की प्रक्रिया प्रारम्भ हुयी।

भारत में ईस्ट इण्डिया शासन के विरूद्ध 1857 में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम लड़ा गया यद्यपि यह संग्राम विफल रहा फिर भी, ईस्ट इण्डिया कम्पनी शासन का अन्त हुआ और अब भारत में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन को समाप्त कर सीधे तौर पर ब्रिट्रेन की महारानी के अधीन किया गया।

ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था

भारत की शासन सत्ता ब्रिटिश क्राउन के अधीन आने पर भी भारत की प्रारम्भिक शिक्षा में कोई नवीन व्यवस्था या नीतियों सम्बन्धी परिवर्तन बड़े पैमाने पर नहीं हुये, हां समय–समय पर बहुतेरे प्रयास किये गये जो आगे उल्लिखित हैं–

हण्टर कमीशन (1882–83)

3 फरवरी 1882 को सरकार ने गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सदस्य सर विलियम हण्टर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग गठित किया गया जिसमें सबसे पहले दादा भाई नरौजी ने प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं तथा उसके निराकरण के लिए प्रस्ताव रखा और हण्टर कमीशन ने उसे मानते हुये भारत में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा के विकास हेतु सुझाव दिया।

लार्डकर्जन की शिक्षा नीति (1909)

लार्ड कर्जन के द्वारा घोषित शिक्षा नीति में कहा गया कि सरकार का मुख्य कार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रसार करना तथा प्राथमिक स्तर में भारतीय भाषाओं को प्रमुख स्थान देना है, साथ ही उसने प्राथमिक स्तर पर अंग्रेजी भाषा की भी पैरवी की कर्जन की इस शिक्षा नीति का प्रारम्भिक स्तर पर बहुत प्रभाव तो नहीं हुआ यद्यपि प्राथमिक शिक्षा की तरफ भारतीय एवं अन्य समाजसुधारकों का ध्यान आवश्य गया और आन्दोलन एवं संघर्ष ने ब्रिटिश सरकार को इस तरफ ध्यान देने पर मजबूर कर दिया।

राष्ट्रीय आन्दोलन एवं अनिवार्य शिक्षा की मांग (1904–1921)

प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिये बड़ौदा के महाराज शिवाजी राव गायकवाड़ ने सन् 1906 में एक अधिनियम का निर्माण किया, जिसके फलस्वयप समस्त विद्यार्थियों के लिये, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने सन् 1911 में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए एक बिल पास करने के लिये केन्द्रीय धारा में प्रस्तुत किया परन्तु पास न हो सका। 1913 में शिक्षा नीति सम्बन्धी सरकारी प्रस्ताव विज्ञापित किया गया जिसमें 1913 की प्रथम नई शिक्षा नीति को सामाजिक, जन न्याय के मूल्यों को समावेशित करके व्यापक सुधारों के जिक्र के साथ पास किया गया।

सैण्डलकर कमीशन (1917)

14 सितम्बर 1917 को लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति डा0 माइकल सैण्डलर के अगुवाई में सैण्डलर आयोग का गठन किया गया। भारत में सम्पूर्ण ब्रिटिश शासन के काल में यह सबसे व्यापक आयोग था, इसमें प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा के लिए जो

भी संस्तुति प्रस्तुत की वह आज भी सार्वभौमिक शिक्षा में बहुत ही व्यापक एवं प्रासंगिक है।

हार्टांग समिति (1929)

ब्रिटिश संसद ने सर फिलिप हर्टांग के अधीन एक समिति का गठन किया। जिसे शिक्षा के हर स्तर का अध्ययन करने का निर्देश दिया गया। समिति ने 10 वर्षों तक भारतीय शिक्षा व्यवस्था में प्रारम्भिक स्तर की शिक्षा का गहन अध्ययन किया और सरकार को अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत किया एवं कहा कि प्राथमिक शिक्षा अब तक अपेक्षित रही है अतः इस पर ध्यान देते हुए इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, जैसे प्राथमिक शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना, प्रत्येक गांव में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना करना, विद्यालयों तक रास्ते बनवाना, धार्मिक तथा जातीय भेदभाव को समाप्त करना एवं इन सबके अलावा विद्यालय से अपव्यय तथा अवरोधन की समस्या को समाप्त करना आदि।

1937 की एबट–वुड़ रिपोर्ट

हर्टांग समिति से आगे चलकर देश की राजनीतिक जागरूकता ने शिक्षा की आवश्यकता को पहचाना तथा उसे बड़े ही पुरजोर तरीके से उठाया और सामान्य शिक्षा के साथ–साथ तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा की मांग भी उठने लगी तभी एबट एवं वुड रिपोर्टों में पूर्ण कालिक जूनियर और सीनियर विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया गया।

सर्जेन्ट योजना (1944)

महात्मा गांधी और जाकिर हुसैन ने साथ मिलकर वर्धा शिक्षा समिति की योजना को प्रस्तुत किया जिसमें प्राथमिक शिक्षा (बुनियादी शिक्षा बेसिक शिक्षा) की पहल की गई जिसका प्रभाव स्वतंत्रता से पूर्व गठित सर्जेंट योजना पर स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। सर जान सर्जेन्ट की अध्यक्षता में सन् 1944 में एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना का गठन हुआ जिसमें सर्जेन्ट ने प्राथमिक शिक्षा के बारे में कहा कि छः से चौदह वर्ष आयु के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाये। उसने गांधी जी द्वारा प्रस्तुत बुनियादी शिक्षा के सभी सिद्धान्तों को माना तथा प्रारम्भिक शिक्षा के संगठनात्मक सुधार का सुझाव दिया और कहा कि बेसिक विद्यालयों की शिक्षा अवधि 5 वर्ष तथा सीनीयर बेसिक विद्यालयों की अवधि 3 वर्ष एवं बेसिक विद्यालयों में अंग्रेजी भी एक भाषा के रूप में पढ़ायी जाये। यद्यपि सन् 1947 में भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हो गयी जिसके कारण यह योजना पूर्णतः फलिभूत नहीं हो पायी।

स्वतंत्रता के उपरान्त भारत में प्राथमिक शिक्षा

स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत को तेज गति से अपने सभी संसाधनों को एकत्रित कर प्राथमिक शिक्षा की तरफ ध्यान देने की जरूरत थी, 26 जनवरी 1950 जो लागू भारत वर्ष के संविधान ने इस मार्ग को प्रशस्त किया और अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने का संकल्प लेकर इस तरह व्यापक कदम बढ़ाया गया। यद्यपि यह लक्ष्य आज भी पूर्णरूपेण साकार तो नहीं हो सका है। परन्तु सरकारों की दृढ़ इच्छा शक्ति संविधान की सामाजिक, आर्थिक न्याय की संकल्पना इसे भविष्य में जरूर पूर्ण करेगी। इन्हीं लक्ष्यों को लेकर समय–समय पर विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का आयोजन होता रहा है और समग्र विकास कार्यक्रमों को पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यमों से ही नवीन विद्यालयों का निर्माण एवं प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्तरोन्नयन किया जा रहा है।

Number of primary schools, schools imparting upper primary education and schools imparting elementary education (2000-01 to 2013-14)

Year	Number of primary schools (schools with only primary section)	Number of schools imparting upper primary education	Number of schools imparting elementary education
2000-01	638,738	206,269	845,007
2001-02	664,041	219,626	883,667
2002-03	651,382	245,274	896,656
2003-04	712,239	262,286	974,525
2004-05	767,520	274,731	1,042,251
2005-06	772,568	288,493	1,061,061
2006-07	784,852	305,584	1,090,436
2007-08	805,667	445,108	1,250,775
2008-09	809,108	476,468	1,285,576
2009-10	809,974	493,838	1,303,812
2010-11	827,244	535,080	1,362,324
2011-12	842,481	569,697	1,412,178
2012-13	853,870	577,832	1,431,702
2013-14	858,916	589,796	1,448,712

Source: Statistics of School Education, 2007-08, MHRD, GoI; and Unified District Information System for Education (U-DISE), National University of Educational Planning and Administration (NUEPA).

P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-1* April- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 Remarking An Analisation

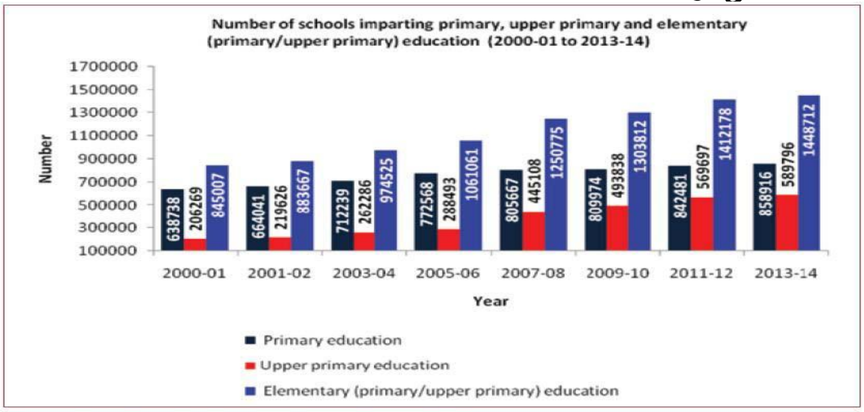

Source: Statistics of School Education, 2007-08, MHRD, GoI; U-DISE, NUEPA.

भारतीय संविधान में प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी प्रमुख धाराएं

26 जनवरी 1950 भारतीय संविधान को अंगीकार करने के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि देश की सरकार का यह प्रयास होगा कि 6–14 वर्ष के आयु वर्ग की शिक्षा, राज्य का उत्तरदायित्व होगा।

उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार

सन् 1993 में के0पी0 उन्नीकृष्णन मुकदमें में उच्चतम–न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि **'शिक्षा बच्चों का मौलिक अधिकार है।'**

1. **अनुच्छेद 21A (Right to Education) शिक्षा का अधिकार–** राज्य 6–14 वर्ष आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का विधि सम्मत उपाय करेगा।
2. **अनुच्छेद 45 का संशोधन–** राज्य सभी बालकों के लिए छः वर्ष की आयु पूरी करने तक प्रारम्भिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा देने के लिए उपबन्ध करने का प्रयास करेगा।
3. **अनुच्छेद 51A का संशोधन–** इसमें नवीन खण्ड जोड़ा गया। माता–पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चे या प्रतिपाल्य के लिए यथास्थिति शिक्षा का अवसर प्रदान करें।

प्राथमिक शिक्षा से सम्बद्ध विभिन्न कार्यक्रम

प्रौढ़ शिक्षा → समाज शिक्षा → जन शिक्षा → बेसिक शिक्षा → सम्पूर्ण सा0 अभि0 → सर्व शिक्षा अभि0

सर्वशिक्षा अभियान

शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए दुनिया के लगभग सभी देशों में सेनेगल की राजधानी डकार में सन् 2009 में एक विश्वस्तरीय मंच पर शिक्षा के लिए सम्मेलन में प्रमुख राष्ट्रध्यक्षों ने भाग लिया और सम्मेलन में विश्व समुदाय ने यह कटिबद्धता जतायी कि दुनिया के सभी विद्यालय जाने योग्य बालकों को 2015 तक निःशुल्क स्कूली शिक्षा उपलब्ध करा दी जायेगी इसी सम्मेलन में कुछ अन्य प्रमुख बातें भी विश्व मंच पर उभरकर आयी जिनमें कुछ निम्नवत है।

1. पूर्व प्राथमिक सतर के 3 साल 10 माह से लेकर 5 साल 10 माह तक के बच्चों की देखभाल और उनके विद्यालय जाने की तैयारी में विशेष सहायता दी जाये।
2. प्राथमिक सतर की शिक्षा को मुफ्त एवं अनिवार्य बनाना।
3. बच्चों एवं प्रौढ़ों को सीखाने की आवश्यकता, तथा ''जीवन कौशलों'' पर ध्यान देना।
4. विद्यालयी स्तर पर लिंगानुपात को बराबर करना इस भेद को समाप्त करना।

अतः उपरोक्त सम्मेलन से एक बात स्पष्ट होती है कि सर्वशिक्षा अभियान, स्कूली प्रणाली के सामुदायिक स्वामित्व के माध्यम से प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की दिशा में उठाया गया एक सार्थक प्रयास है। यह सम्पूर्ण राष्ट्र में एक स्तरीय बुनियादी शिक्षा व्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिये अपेक्षित ढांचा तैयार करता है और सबकी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करता है।

सर्वशिक्षा अभियान में केन्द्र व राज्य सरकारों की वित्तीय भागीदारी

सर्वशिक्षा अभियान में केन्द्र व राज्य का वित्तीय समावेशन विगत कुछ वर्षों से लगातार बड़ा है। जिससे यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि प्राथमिक शिक्षा के प्रति केन्द्र व राज्य सरकारें उन्मुख है। जिससे 2007–2008, 2008–09, 2009–10 में इस पर व्यय लगातार बड़ा है।

P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-1* April- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

Expenditure on education by Education and other Departments by Sector (2007-08 to 2009-10)

Sub-Sector	Expenditure on education (2007-08) (Rs. Billion)			Expenditure on education (2008-09) (Rs. Billion)			Expenditure on education (2009-10) (Budget estimate) (Rs. Billion)		
	States/ UTs	Centre	Total	States/ UTs	Centre	Total	States/ UTs	Centre	Total
Elementary Education	514.0	181.2	695.2	648.3	219.4	867.7	763.9	222.7	986.6
Secondary Education	332.3	25.8	358.1	417.6	51.0	468.6	531.9	71.2	603.1
University and Hr. Education	243.7	137.6	381.4	312.3	163.7	476.0	345.4	210.0	555.4
Adult Education	1.6	2.2	3.8	2.6	2.1	4.7	2.8	4.6	7.4
Technical Education	67.2	52.3	119.5	93.5	79.3	172.8	104.1	103.3	207.4
Total (Education)	1,158.8	399.2	1,558.0	1,474.3	515.5	1,989.8	1,748.1	611.8	2,359.9

Source: Education Statistics at a Glance, 2011, Ministry of Human Resource Development, Government of India

Central budget allocations and releases for the SSA programmes (2004-05 to 2012-13) (Rs. in Billion)

Year	GoI budget allocation	GoI releases	Expenditure (including State share)
2004-05	50.8	51.1	65.9
2005-06	78.1	75.2	99.9
2006-07	111.0	108.4	147.8
2007-08	131.7	114.3	155.7
2008-09	131.0	126.1	190.4
2009-10	131.0	127.8	210.4
2010-11	198.4	195.9	313.5
2011-12	210.0	207.8	378.3
2012-13	238.8	238.4	442.8

Source: Ministry of Human Resource Development, Government of India

सर्वशिक्षा अभियान पर वर्ष 2015 में केन्द्र और राज्य के मध्य वित्तीय बटवार लगभग 65:35 का रहा है। वही उत्तर पूर्वी राज्यों में यह अनुपात 90:10 का रहा है।

सर्वशिक्षा अभियान की उपलब्धियाँ

सर्वशिक्षा अभियान ने अपने स्थापित उद्देश्यों में काफी सफलता प्राप्त की है। जिससे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन बड़ा है। जो निम्नवत है–

Enrolment in primary, upper primary and elementary education (2000-01 to 2013-14) (in Millions)

Year	Primary education (Classes I-V)			Upper Primary education (Classes VI-VIII)			Elementary education (Classes I-VIII)		
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
2000-01	64.0	49.8	113.8	25.3	17.5	42.8	89.3	67.3	156.6
2001-02	63.6	50.3	113.9	26.1	18.7	44.8	89.7	69.0	158.7
2002-03	65.1	57.3	122.4	26.3	20.6	46.9	91.4	77.9	169.3
2003-04	68.4	59.9	128.3	27.3	21.5	48.8	95.7	81.4	177.1
2004-05	69.7	61.1	130.8	28.5	22.7	51.2	98.2	83.8	182.0
2005-06	70.5	61.6	132.1	28.9	23.3	52.2	99.4	84.9	184.3
2006-07	71.0	62.7	133.7	29.8	24.6	54.4	100.8	87.3	188.1
2007-08	71.1	64.4	135.5	31.0	26.2	57.2	102.1	90.6	192.7
2008-09	70.0	64.5	134.5	29.4	26.0	55.4	99.4	90.5	189.9
2009-10	70.8	64.8	135.6	31.8	27.6	59.4	102.6	92.4	195.0
2010-11	70.5	64.8	135.3	32.8	29.3	62.1	103.3	94.1	197.4
2011-12	70.8	66.3	137.1	31.8	30.1	61.9	102.6	96.4	199.0
2012-13	69.6	65.2	134.8	33.2	31.7	64.9	102.8	96.9	199.7
2013-14	68.6	63.8	132.4	34.2	32.3	66.5	102.8	96.1	198.9

Source: Statistics of School Education, 2007-08, MHRD, GoI; Educational Statistics at a Glance, 2011, MHRD, GoI; Statistics of School Education, 2010-11, MHRD, GoI; and U-DISE, NUEPA.

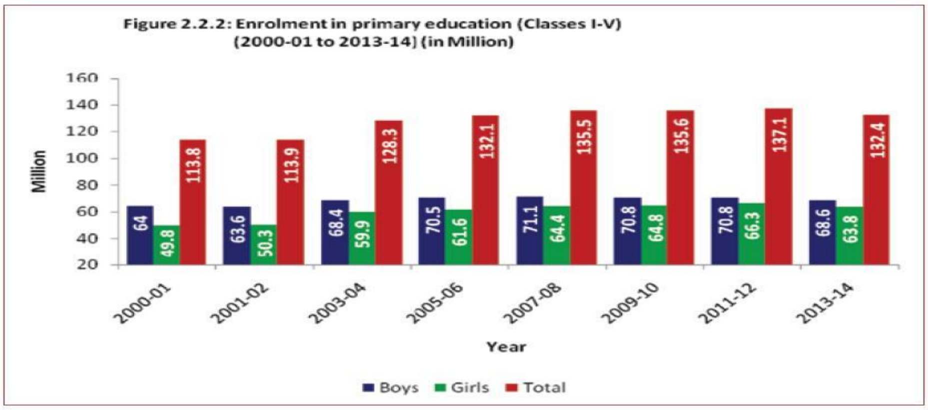

Source: Statistics of School Education, 2007-08, MHRD, GoI; Educational Statistics at a Glance, 2011, MHRD, GoI; Statistics of School Education, 2010-11, MHRD, GoI; and U-DISE, NUEPA.

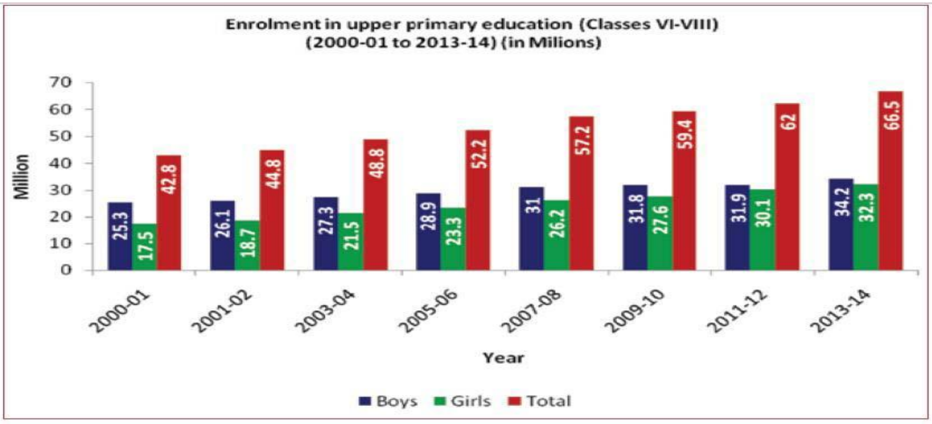

Source: Statistics of School Education, 2007-08, MHRD, GoI; Educational Statistics at a Glance, 2011, MHRD, GoI; Statistics of School Education, 2010-11, MHRD, GoI; and U-DISE, NUEPA.

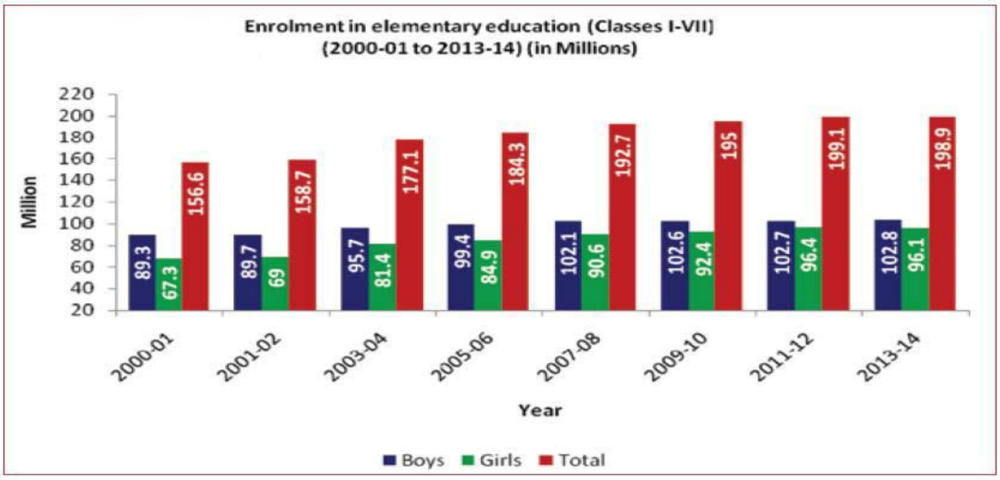

Source: Statistics of School Education, 2007-08, MHRD, GoI; Educational Statistics at a Glance, 2011, MHRD, GoI; Statistics of School Education, 2010-11, MHRD, GoI; and U-DISE, NUEPA.

P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-1* April- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

Gross Enrolment Ratio in primary, upper primary and elementary education (2000-01 to 2013-14) (%)

Year	Primary stage (Classes I-V)			Upper Primary stage (Classes VI-VIII)			Elementary stage (Classes I-VIII)		
	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total	Boys	Girls	Total
2000-01	104.9	85.9	95.7	66.7	49.9	58.6	90.3	72.4	81.6
2001-02	105.3	86.9	96.3	67.8	52.1	60.2	90.7	73.6	82.4
2002-03	97.5	93.1	95.3	65.3	56.2	61.0	85.4	79.3	82.5
2003-04	100.6	95.6	98.2	66.8	57.6	62.4	87.9	81.4	84.8
2004-05	110.7	104.7	107.8	74.3	65.1	69.9	96.9	89.9	93.5
2005-06	112.8	105.8	109.4	75.2	66.4	71.0	98.5	91.0	94.9
2006-07	114.6	108.0	111.4	77.6	69.6	73.8	100.4	93.5	97.1
2007-08	115.3	112.6	114.0	81.5	74.4	78.1	102.4	98.0	100.3
2008-09	114.3	114.4	114.4	77.9	74.4	76.2	100.5	99.1	99.8
2009-10	115.5	115.4	115.5	84.5	78.3	81.5	103.8	101.1	102.5
2010-11	115.4	116.7	116.0	87.7	83.1	85.5	104.9	103.7	104.3
2011-12	106.8	109.3	108.0	72.9	76.3	74.5	93.3	96.3	94.7
2012-13	104.8	107.2	106.0	80.6	84.6	82.5	95.6	98.6	97.0
2013-14	100.2	102.7	101.4	86.3	92.8	89.3	95.1	99.1	97.0

Source: Statistics of School Education, 2007-08, MHRD, GoI; Educational Statistics at a Glance, 2011, MHRD, GoI; Statistics of School Education, 2010-11, MHRD, GoI; and U-DISE, NUEPA.

इस अभियान के शुरू होने से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति में सुधार आया है। और जो बच्चे विद्यालय की पहुंच से दूर थे, उनको भी समेकित प्रयास करके मुख्य धारा में लाया गया। सन् 2001 में ऐसे बच्चों की संख्या 32 मिलियन (जनगणना 2011) के अनुसार 28.2 प्रतिशत 6 से 14 वर्षों के आयु वर्ग में थी, स्वतंत्र निकाय (IMRB) द्वारा किये गये सर्वेक्षण 6–14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों की 2005–06 में 13.95 मिलियन के सापेक्ष 2009–10 में संख्या 8.15 मिलियन थी जो कि 6.94 प्रतिशत से कम होकर 4.28 प्रतिशत हो गयी है।

Out-of-School Children (OoSC) in the age group 6-14 years

Year	Number of out-of-school children (in Millions)	Percentage of out-of-school children to total population in the age group 6-14 years (%)
2005-06	13.45	6.94
2009-10	8.15	4.28

Source: Reports of IMRB surveys 2005 & 2009

Out-of-school children in the age group 6-13 years in different population/social categories (2005 & 2009)

Category	Out-of-school children (in million)		Decrease (absolute number) (in million)	Decrease (%)
	2005	2009		
All	13.46	8.15	5.31	39.4
Total Girls	6.69	4.04	2.65	39.6
SC	3.10	2.31	0.79	25.6
ST	1.66	1.07	0.59	35.5
Muslim	2.25	1.88	0.37	16.4

Source: SSA, Government of India; "Planning Commission Working Group on Elementary Education", 2011

विभिन्न सामाजिक समूहों का अध्ययन करने पर पता चला कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं मुस्लिम वर्ग में 2005 से 2009 के मध्य 6 से 14 आयु वर्ग के बालिकाओं का सम्पूर्ण प्रतिशत जो विद्यालय नहीं पहुंच पायी वह 7.9 प्रतिशत से घटकर 4.6 प्रतिशत हो गया, और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों में यह प्रतिशत 8.1 से घटकर 2009 में 5.9 प्रतिशत अनु0जा0 जाति में यह प्रतिशत 2005 9.5 प्रतिशत था, जो 5.2 प्रतिशत कम हुआ है, मुस्लिम बालकों में कुल मुस्लिम बालकों की प्रतिशत जो 6.14 वर्ष के थे, उनमें 2005 10 प्रतिशत की अपेक्षा 2009 में 7.7 प्रतिशत था।

निष्कर्ष

निःसन्देह हमारी शैक्षिक विकास की यात्रा काफी लम्बी है और 1950 में एक लचर शैक्षिक तंत्र वाला देश आज 6 से 14 वर्ष की आबादी को समग्र रूप से विद्यालयी व्यवस्था में समायोजित करने में सफल रहा है, पूर्व एवं वर्तमान की सरकारों ने जो भी प्रयास इस दिशा में किये हैं, वह आज कहीं न कहीं साकार होते नजर आ रहे हैं, और हम शिक्षा का एक मजबूत तंत्र विकसित कर

चुके हैं। यद्यपि अभी भी कुछ क्षेत्रों में कार्य करना शेष है, जिसे निःसन्देह हम भविश्य में प्राप्त कर लेंगे। जिसमें लिंगानुपात की विषमता दूर करना, सर्वशिक्षा अभियान के सभी पक्षों को लागू करना, छात्र–शिक्षक अनुपात एवं विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण का उन्नयन करना प्रमुख है। वहीं अपव्यय को रोकने के लिये परीक्षा परिणामों को 100 प्रतिशत कर देने से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुयी है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. *सिंह, वी0जी0 (2014), भारत में शिक्षा का अधिकार एवं प्रारम्भिक शिक्षा, इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन*
2. *मल्होत्रा, पी0एल0 (1986), भारत में विद्यालयी शिक्षा, वर्तमान और भावी आवश्यकताएं, नई दिल्ली : राष्ट्रीय शै0अ0 परिषद*
3. *चौबे, सरयू, प्रसाद एवं अखिलेश चौबे (2003), शिक्षा के आधार, इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन।*
4. *गुप्ता, एस0पी0 एवं अल्का गुप्ता (2010), आधुनिक भारतीय शिक्षा की समस्यायें, इलाहाबाद : शारदा पुस्तक भवन।*
5. *जोशी, सुषमा (2010) भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं समस्याएं, इलाहाबाद, शारदा पुस्तक भवन।*
6. *कबीर, हुमायू (1957) एजुकेशन इन न्यू इण्डिया, न्यू यार्क : हारपर एण्ड ब्रदर्स*
7. *रामचन्द्रन, विमला, (2016), महिला एवं बालिका शिक्षा : भारती परिदृश्य, योजन : नई दिल्ली, अंक 01, पेज 29–32*
8. *शर्मा, पवन, कुमार (2016), भारतीय शिक्षा : अतीत वर्तमान और भविष्य, योजना : नई दिल्ली, अंक 01, पेज 29–32*
9. *शर्मा, पवन, कुमार (2016), भारतीय शिक्षा : अतीत वर्तमान और भविष्य, योजना : नई दिल्ली, अंक 01, पेज 19–23*
10. *पुनेठा, महेश (2013), सरकारी शिक्षा से ही पूरा हो सकता है समाज और सबको शिक्षा का सपना, योजना : नई दिल्ली, अंक 58, पेज 45–47–52*
11. *www.labourbureaureport*
12. *www.yas.nic.in*
13. *Ecanomic Survey Report 2016-2017*
14. *www.educationfarallindia.com.*
15. *https://www.researchgate.net>publication*
16. *mhrd.gass.in>EFAreview-Report find.*
17. *www.unesco.org>single_view>news.*